क्रम-संख्या—106

रजि० नं० एल.डब्लू./एन.पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०—41

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 27 अप्रैल, 2001

वैशाख 7, 1923 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 972/सत्रह-वि0-1—1 (क) 2-2001

लखनऊ, 27 अप्रैल, 2001

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001 पर दिनांक 25 अप्रैल, 2001 को अनुमति प्रदान की और वह (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 2001) के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2001

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 2001]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 का उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—(1) यह अधिनियम भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2001 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे ।

अधिनियम संख्या 2 सन् 1899 की अनुसूची 1-ख का संशोधन

2—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1-ख में,—

(क) अनुच्छेद 17-क में, "उचित स्टाम्प शुल्क" से संबंधित स्तम्भ में शब्द "दो सौ पचास रुपये" के स्थान पर शब्द "पांच सौ रुपये" रख दिये जायेंगे;

(ख) अनुच्छेद 17-ख में, "उचित स्टाम्प शुल्क" से संबंधित स्तम्भ में शब्द "पांच सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "दो हजार रुपये" रख दिये जायेंगे;

(ग) अनुच्छेद 35 (पट्टा) में,—

(एक) खण्ड (क) में, उपखण्ड (vi) (vii) और (viii) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात् :—

"(vi) जहां कि पट्टा तीस वर्ष से अधिक अवधि के लिए या शाश्वता के लिए तात्पर्यित है या किसी निश्चित अवधि के लिए तात्पर्यित नहीं है,	वही शुल्क जो सम्पत्ति के, जो पट्टे की विषयवस्तु हो, बाजार मूल्य के बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण पत्र [संख्या 23 खण्ड (क)] पर देय हो ।"

(दो) खण्ड (ख) और (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात् :—

"(ख) जहां कि पट्टा किसी नजराने या प्रीमियम के लिये या अग्रिम दिये गये धन के लिए मंजूर किया गया है और जहां कि कोई भाटक आरक्षित नहीं है,—

(एक) जहां कि पट्टा तीस वर्ष से अनधिक अवधि के लिये तात्पर्यित है;	वही शुल्क जो ऐसे नजराने या प्रीमियम या अग्रिम धन की रकम या मूल्य के, जो पट्टा में उपवर्णित है, बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण-पत्र [संख्या 23 खण्ड (क)] पर देय हो ।"
(दो) जहां कि पट्टा तीस वर्ष से अधिक अवधि के लिए तात्पर्यित है;	वही शुल्क जो सम्पत्ति के, जो पट्टे की विषयवस्तु हो, बाजार मूल्य के बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण-पत्र [संख्या 23 खण्ड (क)] पर देय हो ।

(ग) जहां कि पट्टा आरक्षित किये गये भाटक के अतिरिक्त किसी नजराने या प्रीमियम के लिये या अग्रिम दिये गये धन के लिये मंजूर किया गया है,—

(एक) जहां कि पट्टा तीस वर्ष से अनधिक अवधि के लिये तात्पर्यित है;	वही शुल्क जो ऐसे नजराने या प्रीमियम या अग्रिम धन की रकम या मूल्य के, जो पट्टा में उपवर्णित है, बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण पत्र [संख्या 23 खण्ड (क)] पर देय हो और जो उस शुल्क के अतिरिक्त होगा जो उस दशा में, जिसमें कि कोई नजराना या प्रीमियम या अग्रिम धन नहीं दिया गया है या परिदत्त नहीं किया गया है, ऐसे पट्टे पर देय होता : परन्तु किसी भी दशा में जब पट्टा करने का करार, पट्टे के लिये अपेक्षित मूल्यानुसार स्टाम्प से स्टाम्पित है, और ऐसे करार के

	अनुसरण में पट्टा तत्पश्चात् निष्पादित किया गया है, तब ऐसे पट्टे पर शुल्क पचास रुपये से अधिक नहीं होगा।
(दो) जहां कि पट्टा तीस वर्ष से अधिक अवधि के लिये तात्पर्यित है;	वही शुल्क जो सम्पत्ति के, जो पट्टे की विषयवस्तु हो, बाजार मूल्य के बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण पत्र [संख्या 23 खण्ड (क)] पर देय हो।"

(तीन) स्पष्टीकरण (5) निकाल दिया जायगा।

निरसन और अपवाद (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 18 सन् 2000)

3--(1) भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2000 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो यह अधिनियम सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था।

उद्देश्य और कारण

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1-ख के अनुच्छेद 17-क और अनुच्छेद 17-ख के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क बहुत पहले वर्ष 1971 में पुनरीक्षित किये गये थे। यह भी जानकारी में आया था कि स्टाम्प शुल्क के भुगतान से बचने के लिए पट्टे के लिखतों पर प्रीमियम की धनराशि बहुत कम दर्शायी जा रही थी। अतएव राज्य सरकार के वित्तीय स्रोतों का संवर्धन करने और साथ ही पट्टे के लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क के अपवंचन को रोकने की दृष्टि से यह विनिश्चय किया गया कि उक्त अनुसूची के अनुच्छेद 17-क, 17-ख और 35 को संशोधित करके निम्नलिखित व्यवस्था की जाय :—

(क) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 22 के अधीन उत्तर प्रदेश के राज्य बार काउन्सिल द्वारा जारी एनरोलमेन्ट प्रमाण-पत्र के लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क को दो सौ पचास रुपये से बढ़ाकर पांच सौ रुपये किया जाना;

(ख) नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन नोटरी का व्यवसाय करने के प्रमाण-पत्र के लिखत पर, या उक्त धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन ऐसे प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण के पृष्ठांकन पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क पांच सौ रुपये से बढ़ाकर दो हजार रुपये किया जाना;

(ग) तीस वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पट्टे के लिखत पर उस सम्पत्ति के, जिसे पट्टा किया जाता हो, बाजार मूल्य पर स्टाम्प शुल्क प्रभार्य किया जाना।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 29 दिसम्बर, 2000 को भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2000 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 18 सन् 2000) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

No. 972 (2)/XVII-V-1—1 (KA)-2/2001

Dated Lucknow, April 27, 2001

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Bhartiya Stamp (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 2001 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 9 of 2001) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on April 25, 2001 :—

THE INDIAN STAMP (UTTAR PRADESH AMENDMENT) ACT, 2001

(U. P. Act No. 9 of 1999)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Indian Stamp Act, 1899 in its application to Uttar Pradesh.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-second Year of the Republic of India as follows :—

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Indian Stamp (Uttar Pradesh Amendment) Act, 2001.

(2) It shall extend to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification appoint in this behalf.

Amendment of Schedule 1-B of Act no. II of 1899.

2. In Schedule 1-*B* of the Indian Stamp Act, 1899,—

(*a*) in Article 17-*A*, in the column relating to "Proper Stamp Duty" *for* the words "Two hundred and fifty rupees" the words "Five hundred rupees" shall be *substituted*;

(*b*) in Article 17-*B*, in the cloumn relating to "Proper Stamp Duty", *for* the words "Five hundred rupees", the words "Two thousand rupees" shall be *substituted*;

(*c*) in Article 35 (Lease),—

(*i*) in clause (*a*), for sub-clauses (vi), (vii) and (viii) the following clause shall be *substituted*, namely :—

"(*vi*) Where the lease purports to be for a term exceeding thirty years or in perpetuity or does not purport to be for any definite term.	The same duty as a Conveyance [No. 23 clause (a)] for a consideration equal to the market value of the property which is the subject of the lease."

(*ii*) *for* clauses (*b*) and (*c*) the following clauses shall be *substituted*, namely :—

"(*b*) Where the lease is granted for a fine or premium or for money advanced and where no rent is reserved,—

(*i*) Where the lease purports to be for a term not exceeding thirty years;	The same duty as a Conveyance [No. 23 clause (a)] for consideration equal to the amount or value of such fine or premium or advance as set forth in the lease.
(*ii*) Where the lease purports to be for a term exceeding thirty years ;	The same duty as a Conveyance [No. 23 clause (*a*)] for a consideration equal to the market value of the property which is subject of the lease.

(*c*) Where the lease is granted for a fine or premium or for money advanced in addition to rent reserved,—

(*i*) Where the lease purports to be for a term not exceeding thirty years;	The same duty as a Conveyance [No. 23 clause (a)] for a consideration equal to the

	amount or value of such fine or premium or advance as set forth in the lease, in addition to the duty which would have been payable on such lease, if no fine or premium or advance had been paid or delivered:
	Provided that in a case when an agreement to lease is stamped with the advalorem stamp required for lease, and a lease in pursuance of such agreement is subsequently executed, the duty on such lease shall not exceed fifty rupees.
(*ii*) Where the lease purports to be for term exceeding thirty years;	The same duty as a Conveyance [No. 23 clause (a)] for a consideration equal to the market value of the property which is subject of the lease."

(*iii*) Explanation (5) shall be omitted.

U. P. Ordinance no. 18 of 2000

Repeal and savings

3. (1) The Indian Stamp (Uttar Pradesh Amendment) Ordinance, 2000 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Stamp duties chargeable under Article 17-A and Article 17-B of Schedule I-B of the Indian Stamp Act, 1899 were revised as back as in the year 1971. It was also noticed that in order to avoid due payment of stamp duty on instruments of lease, the amount of premium was being shown very low. There are with a view to augmenting the financial resources of the State as also to prevent the evasion of stamp duties chargeable on instruments of Lease, it was decided to amend Articles 17-A, 17-B and 35 of the said Schedule to provide for,–

(*a*) enhancing the stamp duty from two hundred and fifty rupees to five hundred rupees chargeable on the instrument of the certificate of enrolment under section 22 of the Advocates' Act, 1961 issued by the State Bar Council of Uttar Pradesh;

(*b*) enhancing the stamp duty from five hundred rupees to two thousand rupees chargeable on the instrument of certificate of practice as Notary under sub-section (1) of section 5 of the Notaries Act, 1952, or endoresement of renewal of such certificate under sub-section (2) of the said section 5 ;

(*c*) making stamp duty chargeable on the instrument of Lease for a term exceeding thirty years on the market value of the property to be leased.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Indian Stamp (Uttar Pradesh Amendment) Ordinance, 2000 (U. P. Ordinance no. 18 of 2000) was promulgated by the Governor on December 29, 2000.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
Y. R. TRIPATHI,
Pramukh Sachiv.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 17 सा० विधा०—(169)—2001—850 (मेरठ) ।